स0स0–1/प0नि0–05/2025– 840(1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः– विभागीय संकल्प सं0–187(1), दिनांक–14.03.2023 द्वारा राज्य के अन्तर्गत अवस्थित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन हेतु सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप शुल्क निर्धारित करने के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–05.08.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में स्थगित करने के संबंध में।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापाक– एन0एम0सी0/यू0एस0 (एन0एम0सी0)/फी–रेगुलेटिंग कमिटी/2021–22, दिनांक–03.02.2022 द्वारा निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के 50 प्रतिशत सीटों पर शुल्क (Fee) निर्धारण हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त दिशा–निर्देश के आलोक में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय संकल्प ज्ञापांक–187(1), दिनांक–14.03.2023 द्वारा राज्य के सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकन एवं अन्य शुल्क राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु निर्धारित शुल्क के समरूप किये जाने का निर्णय संसूचित है।

2– राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में वाद संख्या–682/2022 AHSI Association of Health Sciences Institutes बनाम् भारत सरकार एवं अन्य दायर हुआ है, जिसमें सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–18.09.2025 निर्धारित है। साथ ही इस संबंध में वाद संख्या–646/2023 माता गुजरी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय बनाम् भारत सरकार एवं अन्य भी दायर है, जिसमें सुनवाई प्रक्रियाधीन है।

3– उक्त क्रम में विभागीय पत्रांक–734(1), दिनांक–29.07.2025 के द्वारा परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना को शैक्षणिक सत्र 2025–26 से विभागीय संकल्प स0–187(1), दिनांक–14.03.2023 के आलोक में राज्य के निजी संस्थानों के 50 प्रतिशत सीटों पर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप नामांकन लिये जाने संबंधी निदेश दिया गया।

4– उक्त निदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 स0–12651/2025 नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाम् बिहार राज्य तथा अन्य सदृश्य मामले दायर किये गये। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–05.08.2025 को मामले की सुनवाई करते हुए पारित न्यायादेश में विभागीय पत्रांक–734(1), दिनांक–29.07.2025 को स्थगित कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त न्यायादेश के अनुपालन का संसूचन विभागीय पत्रांक–813(1), दिनांक–11.08.2025 के द्वारा परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना को किया जा चुका है।

5– शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ है। इस नामांकन प्रक्रिया को नियत समय में पूरा किया जाना अनिवार्य है।

क्रमशः

6– अत विभागीय सकल्प स0–187(1), दिनांक–14 03.2023 द्वारा राज्य के अन्तर्गत अवस्थित निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एव डीम्ड विश्वविद्यालयों मे स्नातक एव स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 50 प्रतिशत सीटो पर नामाकन हेतु सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयो के लिए निर्धारित शुल्क के अनुरूप शुल्क निर्धारित करने के निर्णय को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनाक–05 08 2025 को पारित न्यायादेश के आलोक मे स्थगित किया जाता है। यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के निर्णय से आच्छादित होगा।

7– प्रस्ताव मे मत्रिपरिषद् की बैठक दिनाक–13.08 2025 के मद सख्या–28 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/8/25

(दिनेश कुमार झा)

सरकार के सयुक्त सचिव

ज्ञापाकः–1/प0नि0–05/2025– 840(1) /स्वा0, पटना, दिनाक– 19 / 8 /2025

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, प्रभारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र (गजट) के आगामी असाधारण अंक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

19/8/25

सरकार के सयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/प0नि0–05/2025– 840(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 19/ 8 /2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी सबधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011/सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषद्, पॉकेट–14, सेक्टर–8, द्वारका फेज–1, नई दिल्ली–110077/The Assistant Directorate General (ME), Directorate General of Health Services. 352-A, Nirman Bhawan, New Delhi-110011/The Secretary/ Registrar, Dental Council of India, National Dental Commission Building, Plot No.-14, Sector-9, R.K. Puram, New Delhi-110022/ The Secretary, Pharmacy Council of India, NBCC Centre, 3rd Floor, Plat no.-2, Community Centre. Maa Anandmai Marg, Okhla Phase-I. Landmark (Near Hotel Crowne Plaza), New Delhi-110020 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियत्रक, बिहार सयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, आई0ए0एस0 एसोसिएशन भवन, हवाई अड्डा के नजदीक, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति परिसर, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना–800014 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

क्रमश

प्रतिलिपिः— अपर सचिव, मंत्रिमडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनाक—13.08 2025 के मद सख्या—28 के प्रसग मे सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— निदेशक, इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— कुलसचिव, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ज्ञान परिसर, मीठापुर, पटना—800001 / कुलसचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना—800001 / कुलसचिव, सभी डीम्ड विश्वविद्यालय, बिहार / प्राचार्य / अधीक्षक, सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार / प्राचार्य, सभी निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार / प्राचार्य, सभी सरकारी / निजी दंत महाविद्यालय, बिहार / प्राचार्य, सभी सरकारी / निजी आयुर्वेदिक / यूनानी / तिब्बी / होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार / विभागाध्यक्ष—सह—नियत्रण पदाधिकारी, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एव अकुपेशनलथेरापी, विकलाग भवन, ककडबाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना / प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना / सयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा—1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार / परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/8/25

सरकार के संयुक्त सचिव